उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-06/2025/180/एक-1-2025-रा0-1

66-1099/4/2023

लखनऊः दिनांकः 05 मई, 2025

अधिसूचना

जिलाधिकारी, बिजनौर के पत्र संख्या-782/सात-भूलेख, डी0एल0आर0सी0 दिनांक-22.11.2024 द्वारा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन के माध्यम से ग्राम महमूदपुर, परगना दारानगर, तहसील बिजनौर, जनपद बिजनौर में खाद्य प्रसंस्करण (उद्योग) की स्थापना हेतु मे0 एग्रिस्टो मासा प्रा0लि0 को 2.651हे0 भूमि क्रय की अनुमति उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-90 के अन्तर्गत दिये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 वर्ष, 2012) की धारा-90 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके मे0 एग्रिस्टो मासा प्रा0लि0 को खाद्य प्रसंस्करण (उद्योग) की स्थापना हेतु ग्राम महमूदपुर, परगना दारानगर, तहसील बिजनौर, जनपद बिजनौर में 2.651हे0 भूमि क्रय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्त संस्था द्वारा विदेशी पूंजी निवेश से सम्बन्धित भारत सरकार के तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के नियमों तथा एफ0डी0आई0 व एफ0आई0पी0बी0 के मानकों का अनुपालन प्रशासनिक विभाग-खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) संस्था के क्रेडेंशियल से सम्बन्धित उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभाग-खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

(3) संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित, 2019 की धारा-89 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार विहित सीमा से अधिक भूमि क्रय की अनुमति सम्बन्धित कलेक्टर से प्राप्त किया जायेगा।

(4) क्रय की गयी भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात् खाद्य प्रसंस्करण (उद्योग) की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(5) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तांतरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

(6) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण/विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 में वर्णित व्यवस्था एवं समय-समय पर निर्गत एतत् विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) संस्था द्वारा क्रय हेतु प्रस्तावित भूमियों के अधिकार, हित व स्वत्व की वैधता की जांच आधार वर्ष से जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन सम्बन्धी भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार/ प्राधिकरणों/मा0 न्यायालयों/मा0 न्यायाधिकरणों आज के निर्णय/प्रावधान उक्त भूमियों, उन पर स्थापित संरचनाओं और कार्यकलापों पर लागू होगा।

(10) उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन पर संस्था द्वारा क्रय की गयी सम्पूर्ण भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा इस हेतु किसी भी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(11) उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सम्बन्धित जिलाधिकारी, बिजनौर व उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

राम रतन
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(3) आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
(4) जिलाधिकारी, बिजनौर।
(5) निदेशक, एग्रिस्टो मासा प्रा0लि0, एल-1, सेक्टर-18, नोएडा, पिन कोड-201301
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आर0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in